भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5746

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दिल्ली में चिकित्सा महाविद्यालय

† 5746. श्री मनोज तिवारीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उत्तर-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक चिकित्सा महाविद्यालय और 500 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थान, बजट आवंटन और कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ करावल नगर में पुलिस अकादमी के निकट अथवा बुराड़ी में भूमि चिह्नित अथवा आवंटित कर दी गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उत्तर-पूर्व दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबंद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण स्वरूप प्रणाली पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

सरकार द्वारा देश में चिकित्सा शिक्षा सुविधा केंद्रों को बढ़ाने और चिकित्सा मानकों में सुधार करने के लिए उठाए गए उपायों/कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 131 पहले से ही कार्यात्मक हैं।

ii. एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/उन्नत करने के लिए सीएसएस, जिसके तहत 5972.20 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटें, 1498.43 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से 72 कॉलेजों में चरण-I में 4058 पीजी सीटें और 4478.25 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से 65 कॉलेजों में चरण-II में 4000 पीजी सीटें बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक "अति विशिष्टता ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

v. शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।

vi. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

******